भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1986

दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

भूजल प्रबंधन के लिए कानून

1986. श्रीमती विजयलक्ष्मी देवीः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के राज्य, विशेषकर बिहार, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, जल संकट का सामना कर रहे हैं और यहाँ जलाशयों में जल स्तर घट रहा है;

(ख) यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश का आधा भूजल दूषित है, जिसके कारण देश की आबादी में विभिन्न जल जनित बीमारियाँ फैल रही हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर बिहार, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में, डार्क ज़ोन की पहचान की है और भूजल के संरक्षण, सुरक्षा, विनियमन और प्रबंधन के लिए एक आदर्श कानून तैयार किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में भूजल स्तर के संरक्षण और पुनर्भरण के लिए किए गए/ किए जा रहे अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के समन्वय से बिहार, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों सहित देश के डॉयनेमिक भूमि जल संसाधनों का वार्षिक रूप से आकलन किया जा रहा है। वर्ष 2020 और 2024 के आंकड़ों की तुलना से यह ज्ञात होता होता है कि इस अवधि के दौरान देश में वार्षिक भूजल पुनर्भरण 436.15 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) से बढ़कर 446.90 बीसीएम हो गया है और भूजल निष्कर्षण (एसओई) का स्तर 61.6% से घटकर 60.47% हो गया है। तथापि, स्थानीय स्थितियों के कारण कुछ छिट पुट क्षेत्र भूजल की कमी का सामना कर रहे हैं। उक्त अवधि के लिए बिहार, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों के भूमि जल संसाधन आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि पंजाब के अलावा तीन राज्यों में वार्षिक भूमि जल पुनर्भरण

में वृद्धि हुई है और भूजल निकासी के स्तर में भी हरियाणा के अलावा तीन राज्यों में सुधार पाया गया है। विस्तृत विवरण अनुलग्नक-I में दी गई है।

(ग): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा भूमि जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के एक भाग के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर देश के भूजल गुणवत्ता आंकड़े तैयार किए जाते है। इन अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि देश में भूजल सामान्यतः पीने योग्य है। तथापि, कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुछ छिट पुट पॉकेटों में मानव उपभोग के लिए अनुमेय सीमा (बीआईएस के अनुसार) से अधिक फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट, भारी धातु आदि जैसे संदूषकों की उपस्थिति पाई गई है। तथापि सरकार यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास कर रही है कि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जल जीवन मिशन-हर घर जल योजना का कार्यान्वयन करते हुए नियमित और पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

(घ): राष्ट्रीय डॉयनेमिक भूजल आकलन रिपोर्ट 2024 के अनुसार, देश में आकलन किए गए कुल 6746 इकाइयों में से कुल 751 अति-दोहित (ओई) आकलन इकाइयाँ (जिन्हें पहले डार्क ज़ोन कहा जाता था) हैं। बिहार, पंजाब और हरियाणा राज्यों में ऐसी अति-दोहित इकाइयों की संख्या क्रमश 4, 115 और 88 हैं और हिमाचल प्रदेश में कोई अति-दोहित इकाइयां नहीं हैं। भूजल संसाधनों के उचित विनियमन और प्रबंधन की दिशा में राज्यों के प्रयासों को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा भूजल के अंधाधुंध दोहन को रोकने के लिए विनियामक ढांचे का प्रावधान करते हुए एक मॉडल भूजल (विकास और प्रबंधन का विनियमन एवं नियंत्रण) विधेयक का मसौदा तैयार किया था। यह माडल बिल सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दिया गया है और अब तक बिहार, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सहित 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसे अपना लिया गया है।

(ड़): जल राज्य का विषय है। भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन मुख्यत राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन प्रदान किया जात है। इस दिशा में, जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा जल की कमी का सामना करने वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए देश में भूजल संसाधनों के सतत विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:

i. सरकार द्वारा वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह अभियान वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में, जेएसए 2025 को देश में लागू किया जा रहा है, जिसमें अति-दोहित और महत्वपूर्ण जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसए एक अम्ब्रेला अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण में विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।

ii. बिहार, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश के लिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 तैयार किया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इसे साझा किया गया है, जिसमें 185 बीसीएम (बिलियन घन मीटर) का दोहन करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है।

iii. भारत सरकार द्वारा 7 राज्यों के 80 जल संकट वाले जिलों में अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह स्थायी प्रबंधन और मांग प्रबंधन थीम पर आधारित सामुदायिक नेतृत्व वाली योजना है।

iv. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एवं एफडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से देश में पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का कार्यान्वयन किया रहा है। यह योजना सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि और उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए बेहतर ऑन-फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है।

v. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर का आरंभ किया गया था जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण/पुनरुद्धार किया गया है।

vi. माननीय प्रधान मंत्री द्वारा सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देकर देश में वर्षा जल संचयन को एक जन आंदोलन बनाने के दृष्टिकोण से जल शक्ति अभियान की गति को अधिक सुदृढ़ करते हुए जल संचय जन भागीदारी: भारत में जल स्थिरता के लिए एक समुदाय-संचालित पथ का शुभारंभ किया गया है।

अनुलग्नक -I

"भूजल प्रबंधन के लिए कानून" के संबंध में दिनांक 31.07.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 1986 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 2020 और 2024 के मध्य बिहार, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के डॉयनेमिक भूजल संसाधनों का तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	पैरामीटर	वर्ष	भूजल संसाधन आकलन			
			बिहार	पंजाब	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश
1	वार्षिक भूजल रिचार्ज (बीसीएम में)*	2024	34.15	19.19	10.32	1.11
		2020	28.05	22.80	9.53	1.07
2	वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन (बीसीएम में)	2024	30.95	17.63	9.36	1.01
		2020	25.46	20.59	8.63	0.97
3	सभी उपयोगों के लिए वार्षिक भूजल निष्कर्षण (बीसीएम में)	2024	14.10	27.66	12.72	0.36
		2020	13.02	33.85	11.61	0.36
4	भूजल निष्कर्षण का स्तर (एसओई)	2024	45.54%	156.87 %	135.96 %	35.48 %
		2020	51.14%	164.42%	134.56%	36.83%

* बीसीएम – बिलियन घन मीटर
